24/2/21

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अथवा प्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। न्यायालय परिसर के बाहर बार-बार आवाज लगवाई गई। बावजूद आवाज के कोई भी हाजिर नहीं आया। इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना की कार्यवाही के प्रति उदासीन है तथा प्रार्थना की कार्यवाही को चलाना नहीं चाहता। ऐसी सूरत में प्रार्थना की कार्यवाही को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी कल्याण निवेधाज्ञा अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मुलवाद हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक लालसोट